न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 54/2021/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 9.11.2021
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उनवान

गीतादेवी पत्नी श्याम सुन्दर गर्ग जाति महाजन निवासी बाजार नं0 6 रामगंजमण्डी जिला कोटा।

...अपीलांट

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक–अपीलांट
पैरोकार सरकार –रेस्पोडेन्ट

::निर्णय::

दिनांक 30.5.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखरी जिला बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 62/2020 (अपील) अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 बउनवान गीतादेवी बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी मे पारित निर्णय दिनांक 21.9.2021 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह अपील राज0 भू राजस्व अधि0 की धारा 76 के अन्तर्गत न्याया0 हाजा मे पेश की गई।

1 अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है, कि अपीलांटा द्वारा न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा ग्राम गोरधनपुरा तहसील रामगंजमण्डी मे उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी के आदेश दिनांक 12.3.2001 अन्तर्गत भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–बी की अनुपालना मे अपीलांट की खातेदारी भूमि ग्राम गोरधनपुरा की खसरा नम्बर 60 की 12 बिस्वा भूमि सिवायचक दर्ज कर नामा0 सं0 551 आदेश दिनांक 30.5.2001 स्वीकृत किये जाने से अप्रसन्न होकर प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय मे इस आशय की पेश की गई कि उक्त नामा0 तहसीलदार रामगंजमण्डी ने अपीलांटा को बिना सूचना दिये व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट की अनुपस्थिति मे तस्दीक कर दिया जो गैर कानूनी एंव अनाधिकृत रूप से तस्दीक किया है जो सर्वथा गलत एंव त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया कि ख0 नं0 60 की 9 बीघा 18 बिस्वा भूमि अपीलांट ने विकेता गोपाल आ0 मगनीराम जाति धाकड निवासी ग्राम गोरधनपुरा से दिनांक 5.12.1981 को विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि अदा कर कब्जा प्राप्त कर पंजीकृत विक्रपत्र खरीद की है। उक्त भूमि को गैर कृषि प्रयोजनार्थ काम मे नही लिया गया है। सुरक्षा के लिये केवल बाउण्ड्रीवाल बनाई थी तथा खाद बीज रखने के लिये केवल एक कमरा बना रखा है। उक्त भूमि वर्तमान मे अपीलांट के कब्जे काश्त मे है। अपीलांट ने उक्त 12 बिस्वा भूमि को भूखण्डो मे विभक्त नही किया है ना ही अन्य कोई निर्माण हो रहा है। उक्त भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा नही है। अतः उक्त नामा0 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट

अति. संभा. आयुक्त
कोटा

को सुनवाई एंव जवाबदेही का समुचित अवसर प्रदान कर मुकम्मिल जांच कर पुनः नामा0 पूर्ववत अपीलांट के पक्ष मे तस्दीक करने हेतु रिमांड किया जावे। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त आशय की अपील को निर्णय दिनांक 21.9.2021 से अस्वीकार कर खारिज किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा नामा0 जेरअपील अपीलांट को सूचना दिये बिना व सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना ही एक पक्षीय रूप से तस्दीक किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने निरस्त किये जाने योग्य है। हर दो अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया कि खसरा नं060 की 12 बिस्वा भूमि पटवारी हल्का की एक पक्षीय त्रुटिपूर्ण एंवमनमानी एंव मौके की स्थिति के विपरीत तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को सूचना दिये बिना ही उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी ने दिनांक 12.3.2001 को सर्वथा गैर कानूनी रूप से अपीलांट की अनुपस्थिति मे आदेश पारित कर दिया जो सर्वथा निरस्तनीय है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा मे अपील पृथक से प्रस्तुत करदी हैजो विचाराधीन है। उक्त आदेश की पालना मे तह0 रामगंजमण्डी द्वारा ख0 नं0 60 की 12 बिस्वा भूमि सिवायचक दर्ज करने बावत नामा0 सं0 551 दिनांक 30.5.2001 तस्दीक कर दिया जो सर्वथा गैरकानूनी एंव अनाधिकृत होने से काबिल निरस्तनीय है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी अपीलांट की अपील खारिज करने मे त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर कोटा द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 21.9.2021 एंव नामा0 सं0 551 दिनांक 30.5.2001 निरस्त किया जावे। बसूरत दीगर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी को अपीलांट को सुनवायी एंव जवाबदेही का समुचित अवसर प्रदान कर बाद मुकम्मिल जांच पुनः नामा0 निर्णित करने हेतु रिमांड किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एंव रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस मे अपील के तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि तहसीलदार रामगंजमण्डी ने अपीलांट को सूचना सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये बिना ही अपीलांट की अनुपस्थिति मे नामा0 तस्दीक किया है जो सर्वथा गलत एंव त्रुटिपूर्ण है। ख0 नं0 60 की 9 बीघा 18 बिस्वा भूमि अपीलांट ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की है। उक्त भूमि गैर कृषि कार्य के प्रयोजनार्थ काम मे नही ली गई है। अपीलांट ने 12 बिस्वा भूमि को भूखण्डो मे विभक्त नही किया है। सुरक्षा की दृष्टि से बाउण्ड्री वाल तथा खाद बीज रखने हेतु एक कमरा बना रखा है। पटवारी हल्का की मनमानी रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा 12.3.2001 को आदेश पारित किया गया जिसकी पृथक से अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा मे वर्तमान मे विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना निर्णय जेरअपील पारित करने मे त्रुटि की है अन्त मे आरआरटी 1982 पेज 332 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एंव नामा0 निरस्त करने का अनुरोध किया।

4 रेस्पो0 की ओर से पैरोकार सरकार ने अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना जाहिर करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 पैरोकार सरकार पर मनन किया। न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा ग्राम गोरधनपुरा तहसील रामगंजमण्डी मे उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी के आदेश दिनांक 12.3.2001 अन्तर्गत भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–बी की अनुपालना मे अपीलांट की खातेदारी भूमि ग्राम गोरधनपुरा की खसरा नम्बर 60 की 12 बिस्वा भूमि सिवायचक दर्ज कर नामा0 सं0 551 आदेश दिनांक 30.5.2001 स्वीकृत किये जाने के विरूद्ध अपीलाट द्वारा प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर कोटा के यहां पेश की गई। जिला कलक्टर कोटा द्वारा तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा जो नामा0 सं0 551

दिनांक 30.5.2001 स्वीकृत किया गया वह उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी के आदेश दिनांक 12.3.2001 भू राजस्व अधिनियम की धारा 90–बी के तहत भूमि सिवायचक करने के आदेश होने से आदेश की पालना में खोला गया है। अतः स्पष्ट है कि नामा0 की प्रकिया मे कोई खामी नही है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण मे तथ्यों का समुचित परीक्षण कर आक्षेपित निर्णय 21.9.2021 पारित किया है जो न्यायोचित है। प्रश्नगत प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आरआरटी 1982 पेज 332 इस हस्तगत अपील प्रकरण मे चस्पा नही होते है। यहां यह भी विवेचनीय है कि अपील पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख प्रमाणित प्रतिलिपी आदेशिका एंव अपील मीमो से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा राज0 भू राजस्व अधि0 की धारा 90–बी के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 12.3.2001 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 90–बी (7) के अन्तर्गत अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा मे पेश की हुई है जो अपील सं0 172/20 उनवान गीतादेवी बनाम राज0 सरकार जरिये तह0 रामगंजमण्डी वर्तमान मे जेरकार होना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति मे उक्त अपील मे अपीलांट के हितो का निर्धारण होगा। उपरोक्त तथ्यों के विशलेषण से हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय मे किसी प्रकार का विधिक एंव तथ्यात्मक दोष नही पाते है। लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

6 परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

7 निर्णय आज दिनांक 30.5.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा